दिल्ली विधान सभा समाचार भाग-2

१ विधान सभा तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी १ मंगलवार, ।। जुलाई, १९९५ / आघाद २०, १९१७ ११ काई

संख्या. 199

सदस्य की नज़रबन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, टिविधान सभा को सम्बोधित उपायुक्त पुलिस, नई दिल्ली ज़िला, नई दिल्ली से दिनांक 08 जुलाई, 1995 की निम्नलिखित ससूचना 10 जुलाई, 1995 को प्राप्त हुई :-

" मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधान। राज्यक्षेत्र की विधान सभा के माननीय सदस्य भी शाएव इकबाल को उनके अन्य सहयोगियों सहित आज अर्थात् ८. ७. १५ को अपराह्न २. १० बजे पुलिस थाना, संसद यार्ग, नई दिल्ली से पुलिस के विधिसम्मत् निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, १९७८ की धारा ६५ के अंतर्गत नज़रबन्द किया गया।

• उन्हें उसी दिन अर्थात् ८. ७. १५ को अपराह्न २. ४० बजे पुलिस थाना, तंसद मार्ग, नई दिल्ली से रिहा कर दिया गया ।"

संख्याः 200

सदस्य की नज़रबन्दी एवं रिहाई

मानर्गि अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित उपायुक्त पुलिस, नई दिल्ली ज़िला, नई दिल्लो से दिनांक 8.7.95 की निम्नलिखित ससूचना 10 जुलाई, 1995 को प्राप्त हुई:—

" मुंभ आपको तसम्यान ूचित करना है कि दिल्लो राष्ट्रीय राजधानी राज्यदेख की विधान सभा के माननीय सदस्य श्री वासदेव कप्तान को उनके अन्य सहयोगियों सहित आज अथांत् ८ ७ ७ को अपराह्न २ ५५ बजे विन्डसर पैलेस, नई दिल्लो से पुलिस के विधिसम्यत निर्देशों की अवहेलना करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 को धारा 65 के अंतर्गत नज़रबन्द कर दिया गया।

उन्हें उसी दिन अर्थात् 8.7.95 को अपराह्न 3.30 बजे पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली से रिहा कर दिया गया।"

> पी. एन. गुप्ता सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART - II

(General information relating to Legislative & other matters)
Tuesday, July 11, 1995/Ashadh 20, 1917 (Saka)

No.199

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following communication dated 8.7.95 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly from the Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi was received on 10th July, 1995:-

"I have the honour to inform you that Sh. Shoaib Iqbal, Hon. Member of Legislative Assembly, N.C.T. of Delhi alongwith his other supporters was detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police from Parliament Street in front of Police Station, Parliament Street, New Delhi at 2.10 P.M. today i.e. 8.7.95.

He was released at 2.30 P.M. from Police Station, Parliament Street, New Delhi, the same day i.e. 8.7.95."

No. 200

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following communication dated 8.7.95 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly from the Deputy Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi was received on 10th July, 1995:-

"I have the honour to inform you that Sh. Vasdev Kaptan, Hon. Member of Legislative Assembly, N.C.T. of Delhi alongwith his other supporters was detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police from Windser Place, New Delhi at 2.45 P.M. today i.e. 8.7.95.

He was released at 3.30 P.M. from Police Station, Parliament Street, New Delhi, the same day i.e. 8.7.95."